

**राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक: प.8(18)राज/वाद/24पार्ट-I

जयपुर, दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/2423/2002) को जिला एवं सेशन न्यायालय, डीडवाना में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, डीडवाना के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रुपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर से राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
- 14 रक्षित पत्रावली।

(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि

Document certified by SURESH CHAND
BANSAL <SCPRIYABANSAL@GMAIL.COM>

Digitally Signed by SURESH
CHAND BANSAL
Designation: Secretary
Date :19-08-2025 05:05:51

RajKaj Ref No.:
17251315
eSign DSC